[SHRI B. K. Daschowdhury]

august House ? What is the Government doing ?

SHRI SAMAR GUHA : What is the international opinion ? You have got to say something. This is a political game. This is political explosion.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar) : I am glad to hear that the Minister has said that the exodus is 'normal' and he has used that word as a matter of speech. Sir, by no stretch of imagination it can be called 'normal'. The hon. Minister, Shri Dinesh Singh, has said in the United Nations that at the time of partition there were 189 lakhs of minority communities in East Pakistan and that now there are only 83 lakhs or even 54 lakhs. That means that it is not a normal situation. That is the most abnormal situation. A genocide is going on there.

SHRI RANGA : All these years.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : What has the Government done about eliciting world opinion over this matter ? There is a genuine case of genocide.

Thirdly I would like to know one thing. It has been reported in the papers that on Saturday last about 100 Hindu families of refugees have come over to India from East Pakistan through Barunhat village in Hasnabad Thana. There were many women amongst them and some of them were assaulted and molested in such a way that it is a shameful thing that they needed immediate medical attention. (*Interruptions*) Our border authorities made no arrangement to give them medical attention. Nothing was done for them. I want to know whether there is any arrangement on the border to do something for these refugees who come in such a shameful, pitiable and agonising condition. When they come to India, it is our moral duty to give them all facilities. I would like the Minister to answer this.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : If the impression has gone round that the condition is normal, I say, the condition of the people is very bad, and we may say that the condition is abnormal and it is also true that a large number of people are coming over regularly from East Pakistan, and I may inform the House that the non-Muslim population in East Pakistan has decreased from 14% to 11%. That result the exact position there.

As regards the figure of 100 people mentioned by the hon. Member who have come to West Bengal, we have checked up with the Government there and the figure is said to be 42. As regards the question of giving relief, some people come with valid documents, some do not have valid documents, Adequate relief and rehabilitation facilities are given by the State Government and also the Central Government to all deserving people.

SHRI SAMAR GUHA : The figure given by the hon. Minister is wrong.

12.26 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER ALL INDIA SERVICES ACT

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से कार्य सूचि के क्रम सख्या तीन में वर्णित पेपर्स सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951, की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय वन सेवा प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा नियुक्ति संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 2 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०

एस० आर० 1806 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वन सेवा (सेवा-मुक्त आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त तथा अल्प सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी (प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 2 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचिना संख्या जी० एस० आर० 1807 में प्रका- हुए थे ।

(तीन) भारतीय वन सेवा (पदालि में संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 9 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1887 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (पदालि में संख्या का निर्धारण) छटा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1987 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954, में 1969 का नवां संशोधन, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1988 में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 1954 में, 1969 का आठवां संशोधन जो दिनांक 23 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1989 में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (पदालि में संख्या का निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1990 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954, में 1969 का नवां संशोधन, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1991 में प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदालि में संख्या का निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1992 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) जी० एस० आर० 1993, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 19 जून 1969 की, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1634 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदालि में संख्या का निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2119 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954, में 1969 का बारहवां संशोधन, जो दिनांक 6 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2120 में प्रकाशित हुआ था ।

(तेरह) भारतीय प्रशानिक सेवा (पदालि में संख्या का निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2229 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954, में 1969 का दसवां संशोधन, जो दिनांक 20 सितम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2230 में प्रकाशित हुआ था ।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 2329, जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 23 अगस्त, 1969 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1992 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(सोलह) जी० एस० आर० 2391, जो दिनांक 11 अक्तूबर 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 23 अगस्त, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1993 शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदालि में संख्या का निर्धारण) बारहवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 8 नवम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2562 में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 1954, में 1969 का चौदहवां संशोधन जो दिनांक 8 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2563 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) उपरोक्त मद (1) के (एक) से लेकर तीन उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

[*Placed in Library. See* No. LT 2141/69]

ARCHITECTS BILL

(i) REPORT OF JOINT COMMITTEE

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide for the registration of architects and for purposes connected therewith.

(ii) EVIDENCE

SHRI BAL RAJ MADHOK : I beg to lay on the Table a copy of the evidence given before the Joint Committee on the Bill to provide for the registration of architects and for purposes connected therewith.